1. रघुनाथसिंह पिता छीतरसिंह जी राजपूत निवासी अमरतिया तह0बेगूँ
2. चेनकंवर पिता छीतरसिंह जी राजपूत निवासी अमरतिया तह0बेगूँ
3. अनिताकंवर पिता छीतरसिंह जी राजपूत निवासी अमरतिया तह0बेगूँ
4. रामकंवर पत्नी छीतरसिंह जी राजपूत निवासी अमरतिया तह0बेगूँ
5. कैलाशकंवर पिता डूंगरसिंह जी राजपूत निवासी अमरतिया तह0बेगूँ
6. भँवरकंवर पिता डूँगरसिंह जी राजपूत निवासी अमरतिया तह0बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

1. भैरूसिंह पिता छगनसिंह राजपूत निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
2. शिवराजसिंह पिता रामसिंह जी राजपूत निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
3. भँवरसिंह पिता मदनसिंह जी राजपूत निवासी अमरतिया तह0बेगूँ
4. अर्जुनसिंह पिता मदनसिंह जी राजपूत निवास अमरतिया तह0 बेगूँ
5. बालू पिता भँवरलाल धाकड निवासी अमरतिया तह0बेगूँ
6. प्रकाश पिता भोजराज जी धाकड निवासी अमरतिया तह0 बेगूँ
7. भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ

विपक्षीगण

उपस्थित :: श्री के0सी0मंत्री
अधिवक्ता प्रार्थीगण

आदेश दिनांक 20.09.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा अमरतिया प0ह0 काटून्दा तह0 बेगूँ की वतमान खतौनी संख्या 74 में अंकित आराजीयात आराजी संख्या 385/355, 386/356, 387/357 एवं 388/359 योग किता–4 कुल रकबा 1.5600 हैक्टर भूमि खातेदारी हक से प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में है। आराजी की सीमाओं का स्थाई सीमांकन नहीं होने से एवं पडोसी विपक्षीगण की भूमि पास लगी हुई होकर विपक्षीगण पडोसी से जमीन विकास करते समय मन मुटाव होता रहता है। भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो इस कारण से आराजी का स्थाई सीमांकन जरिये पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक होने से प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को तहसील कार्यालय से आदेश प्राप्त कर हल्का पटवारी जी से जमीन का नाम चौप करा सीमांकन कराने हेतु कहा तो उसने न्यायालय आदेश के बिना जमीन नापने में अपनी असहमति व्यक्त की जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी की जाकर स्थाई सीमांकन हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र पूर्ण न्यायशुल्क पर मय सम्मन नकल प्रार्थीगण के प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का स्थाई सीमांकन जरिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:45:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया जाकर उस पर मनन किया गया, प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है, जिन्हें आराजी की पत्थरगढी कराने का अधिकार है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा अमरतिया प0ह0 काटून्दा तह0 बेगूँ की वतमान खतौनी संख्या 74 में अंकित आराजीयात आराजी संख्या 385/355, 386/356, 387/357 एवं 388/359 योग किता–4 कुल रकबा 1.5600 हैक्टर भूमि में मौके पर फसल नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मौके पर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 500/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आदेश की पालना में पत्र तहसीलदार, बेगूँ को जारी होकर पालना रिपोर्ट न्यायालय में तलब की जावे।

आदेश आज दिनांक 20.09.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

20/9/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.08.24 10:45:11 IST
Reason: SelfAttested